न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०– 1020/2022
सरकार बनाम पिंकू।
अं० धारा– 363, 354, 504, 506 भा०दं०सं०
व 7/8 पोक्सो अधिनियम।
मु०अ०सं० 539/2021
थाना– हापुड़ देहात, जिला– हापुड़।

<u>आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)</u>

<u>दिनांकः– 10.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्त पिंकू जेरे जमानत उपस्थित आया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पिंकू के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 363, 354, 504, 506 व पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त पिंकू के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि० 05.12.2022 को पेश हो।

दिनांकः– 10.11.2022

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

Shweta

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2022.11.17 16:10:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद सं०– 1020/2022
सरकार बनाम पिंकू।
अं० धारा– 363, 354, 504, 506 भा०दं०सं०
व 7/8 पोक्सो अधिनियम।
मु०अ०सं० 539/2021
थाना– हापुड़ देहात, जिला– हापुड़।

<u>आरोप</u>

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त पिंकू को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

<u>**प्रथम**</u>– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 06.11.2021 के अनुसार भिन्न–भिन्न दिनांकों, भिन्न–भिन्न समय तथा भिन्न–भिन्न स्थानों पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० ए उम्र करीब 14 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कीं। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 354 क के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>**द्वितीय**</u>– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 06.11.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० ए उम्र करीब 14 वर्ष का व्यपहरण उसकी विधिक संरक्षता से किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 363 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>**तृतीय**</u>– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 06.11.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० ए उम्र करीब 14 वर्ष गंदी–गंदी गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>**चतुर्थ**</u>– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 06.11.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० ए उम्र करीब 14 वर्ष को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>पंचम</u>– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 06.11.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री कु० ए उम्र करीब 14 वर्ष के ऊपर लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 10.11.2022 (श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 10.11.2022 (श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।